

2020 का विधेयक सं. 8

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 16 का संशोधन.- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 में,-

(i) उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "400/- रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "800/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (5) में,-

(क) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "300/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "500/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "750/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "1,500/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1,250/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "2,500/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (iii) उप-धारा (5) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "17,500/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "30,000/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) उप-धारा (5) के तृतीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "उस तारीख से जिसको अभिदान देय हो जाता है, बकाया की रकम पर 1.50 रु. प्रति सौ प्रतिमास की दर से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अभिदान के शोध्य होने की तारीख से तीन मास के पश्चात्, बकाया की रकम पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (v) उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1.50 रुपये प्रति सौ प्रति महीने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "7 प्रतिशत प्रतिवर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो लाख पचास हजार रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "आठ लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 में,-

(i) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "40,000/- रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "1,00,000/- रुपये" और विद्यमान अभिव्यक्ति "1,00,000/-रु." के स्थान पर

अभिव्यक्ति "3,00,000/- रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा (3) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर कोई भी आवेदन प्राप्त होने की दशा में, न्यासी समिति द्वारा उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किया गया अनुदान मंजूर की गयी रकम में से घटाया जायेगा।"

7. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"अनुसूची
(धारा 17 देखिए)**

5 वर्ष की सदस्यता	50,000/- रुपये
6 वर्ष की सदस्यता	60,000/- रुपये
7 वर्ष की सदस्यता	70,000/- रुपये
8 वर्ष की सदस्यता	80,000/- रुपये
9 वर्ष की सदस्यता	90,000/- रुपये
10 वर्ष की सदस्यता	1,08,000/- रुपये
11 वर्ष की सदस्यता	1,26,000/- रुपये
12 वर्ष की सदस्यता	1,44,000/- रुपये
13 वर्ष की सदस्यता	1,62,000/- रुपये
14 वर्ष की सदस्यता	1,80,000/- रुपये
15 वर्ष की सदस्यता	1,98,000/- रुपये
16 वर्ष की सदस्यता	2,20,000/- रुपये

17 वर्ष की सदस्यता	2,42,000/- रुपये
18 वर्ष की सदस्यता	2,64,000/- रुपये
19 वर्ष की सदस्यता	2,86,000/- रुपये
20 वर्ष की सदस्यता	3,08,000/- रुपये
21 वर्ष की सदस्यता	3,43,000/- रुपये
22 वर्ष की सदस्यता	3,78,000/- रुपये
23 वर्ष की सदस्यता	4,13,000/- रुपये
24 वर्ष की सदस्यता	4,48,000/- रुपये
25 वर्ष की सदस्यता	4,83,000/- रुपये
26 वर्ष की सदस्यता	5,33,000/- रुपये
27 वर्ष की सदस्यता	5,83,000/- रुपये
28 वर्ष की सदस्यता	6,33,000/- रुपये
29 वर्ष की सदस्यता	6,83,000/- रुपये
30 वर्ष की सदस्यता	7,33,000/- रुपये
31 वर्ष की सदस्यता	8,03,000/- रुपये
32 वर्ष की सदस्यता	8,73,000/- रुपये
33 वर्ष की सदस्यता	9,43,000/- रुपये
34 वर्ष की सदस्यता	10,13,000/- रुपये
35 वर्ष की सदस्यता	10,83,000/- रुपये
36 वर्ष की सदस्यता	11,68,000/- रुपये
37 वर्ष की सदस्यता	12,53,000/- रुपये
38 वर्ष की सदस्यता	13,38,000/- रुपये
39 वर्ष की सदस्यता	14,23,000/- रुपये
40 वर्ष की सदस्यता	15,00,000/- रुपये

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में अधिवक्ताओं की व्यापक मांग है कि अस्पताल में इलाज के बढ़ते व्यय और देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 के विभिन्न उपबंधों के अधीन संदत्त की जा रही रकम पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान बार काउन्सिल ने यह महसूस किया है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 में पूर्व में वर्ष 2012 में संशोधन किये गये थे और तब से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् बाजार में समस्त वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और सभी प्रकार के चिकित्सीय उपचार मंहगे हो गये हैं इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित संशोधन उचित हैं।

धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (3) निधि की सदस्यता के लिए एकमुश्त 400/- रुपये की प्रवेश फीस के लिए उपबंध करती है। इसी प्रकार, धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (5) निधि के वार्षिक अभिदान के लिए उपबंध करती है। निधि से सदस्य को किये जाने वाले संदाय को देखते हुए विद्यमान फीस और वार्षिक अभिदान अत्यल्प प्रतीत होता है। तदनुसार, धारा 16 की उप-धारा (3) और (5) संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं।

धारा 17 की उप-धारा (1) का द्वितीय परन्तुक किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में निधि से संदेय राशि के लिए उपबंध करता है। राजस्थान बार काउन्सिल द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि इस वित्तीय सहायता को दो लाख पचास हजार रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया जाये। इसी प्रकार, अस्पताल में भर्ती होने पर या किसी गंभीर शल्य क्रिया के मामले में किसी सदस्य को धारा 25 के अधीन अनुग्रह अनुदान 40,000/- रुपये से बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये किया जाना और गंभीर बीमारी की दशा में 1,00,000/- रुपये से बढ़ाकर 3,00,000/- रुपये किया जाना विनिश्चित किया गया है। तदनुसार, धारा 17 और 25 संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं।

चूंकि, राज्य सरकार द्वारा कोई विनियोग नहीं किया गया है इसलिए निधि के लिए अभिदाय का मुख्य स्रोत कल्याण निधि फीस स्टाम्पों का विक्रय है। अत्यावश्यकता की दशा में सदस्य को किये जाने वाले विभिन्न संदायों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वकालतनामों पर लगाये जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, धारा 19 और 20 संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (1987 का
अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX
16. निधि की सदस्यता.- (1) से (2) XX XX XX XX
(3) प्रत्येक आवेदक सदस्यता के आवेदन के साथ 400/- रुपये की प्रवेश फीस का एकमुश्त संदाय करेगा जो न्यासी समिति के खाते में जमा की जायेगी।

(4) XX XX XX XX XX

(5) प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 30 जून को या उसके पूर्व निधि में निम्नलिखित दरों से वार्षिक अभिदान का अग्रिम रूप से संदाय करेगा, अर्थात्:-

(i) जहां अधिवक्ता की बार में अवस्थिति
पांच वर्ष से कम है 300/- रु.

(ii) जहां अधिवक्ता की बार में अवस्थिति
पांच वर्ष हो गयी है या दस वर्ष से कम है 750/- रु.

(iii) जहां अधिवक्ता की बार में अवस्थिति
दस वर्ष या उससे अधिक है 1,250/- रु.:

परन्तु निधि का कोई सदस्य 17,500/-रु. की राशि एकमुश्त जमा करा सकेगा और उस दशा में उससे वार्षिक अभिदान का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि भावी सदस्य निधि में प्रवेश फीस के साथ चालू वर्ष के पूरे अभिदान का संदाय करेगा:

परन्तु यह भी कि यदि चालू वर्ष का वार्षिक अभिदान 30 जून को या उससे पूर्व संदत्त नहीं किया जाता है तो निधि का सदस्य, उस तारीख से जिसको अभिदान देय हो जाता है, बकाया की रकम पर 1.50 रु. प्रति सौ प्रतिमास की दर से ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।

(6) XX XX XX XX XX

(7) उप-धारा (6) के अधीन निधि की सदस्यता से हटाये गये किसी व्यक्ति को, उससे शोध्य अभिदान की बकाया का उस पर अभिदान के शोध्य होने की तारीख से 1.50 रुपये प्रति सौ प्रति महीने

की दर से ब्याज का और पुनः प्रवेश फीस के रूप में 100/- रुपये का संदाय, हटाये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर कर दिये जाने पर, न्यासी समिति द्वारा निधि में पुनः सम्मिलित कर लिया जायेगा:

परन्तु जहां कोई सदस्य पुनः सम्मिलित किये जाने के लिए नियत कालावधि के भीतर आवेदन नहीं करता है वहां अभिदान के रूप में जमा रकम उसे लौटा दी जायेगी यदि उसे धारा 25 के अधीन कोई भी अनुग्रह अनुदान मंजूर नहीं किया गया है या, वह धारा 17 के अधीन किसी भी फायदे का हकदार नहीं है।

(8) से (13) XX XX XX XX XX

17. विधि व्यवसाय के बन्द कर दिये जाने पर निधि से संदाय.-

(1) निधि का कोई सदस्य, जो निधि का सदस्य बन जाने के पश्चात् विधि व्यवसाय की पांच वर्ष की कालावधि पूरी कर लेता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, विधि व्यवसाय के बन्द कर दिये जाने पर निधि से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, अपनी अवस्थिति के वर्षों की संख्या के अनुरूप रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- (i) इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए निधि के किसी सदस्य की अवस्थिति के वर्षों की संख्या संगणित करने के प्रयोजन के लिए निधि के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने से पूर्व अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय के प्रत्येक चार वर्ष को एक वर्ष की अवस्थिति के रूप में गिना जायेगा और ऐसे सम्मिलित किये जाने से पूर्व चार वर्ष से ऊपर के विधि-व्यवसाय के प्रत्येक वर्ष को तीन महीने की अवस्थिति के बराबर गिना जायेगा तथा इस प्रकार गिने गये अवस्थिति के वर्षों की कुल संख्या ऐसे सम्मिलित किये जाने के पश्चात् विधि व्यवसाय के वर्षों की संख्या में जोड़ दी जायेगी।

(ii) अवस्थिति के वर्षों की गणना के प्रयोजन के लिए उस कालावधि पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके दौरान निधि का कोई सदस्य निलम्बित रहा:

परन्तु कोई सदस्य व्यवसाय के वर्षों की संख्या को स्पष्टीकरण (i) के अनुसार विभाजित करने के पश्चात् शेष रही किसी भिन्न, यदि कोई हो, के लिए 500/-रु की रकम का दावा करने का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में इस उप-धारा के अधीन संदेय राशि अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट रकम या दो लाख पचास हजार रु., इनमें से जो भी अधिक हो, होगी:

परन्तु यह भी कि द्वितीय परन्तुक के उपबंध उस सदस्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जो पैंतालीस वर्ष की आयु के पश्चात् प्रवेश या पुनः प्रवेश करता है:

परन्तु यह भी कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 9) के प्रारंभ के पश्चात् निधि में सम्मिलित किया गया सदस्य स्पष्टीकरण (i) के फायदे का हकदार नहीं होगा।

(2) से (5) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

19. न्यासी समिति/बार काउन्सिल द्वारा स्टाम्पों का मुद्रण और वितरण.- (1) न्यासी समिति/बार काउन्सिल पच्चीस रु. के मूल्य के कल्याण निधि स्टाम्प मुद्रित और वितरित करवायेगी जिन पर न्यासी समिति/बार काउन्सिल के संप्रतीक सहित उनका मूल्य और क्रम संख्यांक अन्तर्लिखित होगा।

(2) से (7) XX XX XX XX XX

20. वकालतनामों पर स्टाम्प का लगाया जाना.- (1) प्रत्येक अधिवक्ता उसके द्वारा फाइल किये गये प्रत्येक वकालतनामे पर धारा 19 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पच्चीस रु. के कल्याण निधि फीस स्टाम्प लगायेगा और कोई भी वकालतनामा किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी या धारा 16 में निर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष दाखिल या उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक वह इस प्रकार स्टाम्पित न हो।

(2) से (3) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX

25. निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान.- (1) XX XX XX

(2) इस प्रकार अनुज्ञात अनुदान खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में 40,000/- रु. और खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में 1,00,000/-रु. से अधिक नहीं होगा:

परन्तु ऐसा दावा पांच वर्ष की कालावधि में एक बार से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि 45 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रवेश या पुनः प्रवेश करने वाला सदस्य कोई भी अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

XX

XX

XX

XX

XX

अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

5 वर्ष की सदस्यता	:	19,000/-रु.
6 वर्ष की सदस्यता	:	22,000/-रु.
7 वर्ष की सदस्यता	:	25,000/-रु.
8 वर्ष की सदस्यता	:	28,000/-रु.
9 वर्ष की सदस्यता	:	31,000/-रु.
10 वर्ष की सदस्यता	:	36,000/-रु.
11 वर्ष की सदस्यता	:	41,000/-रु.
12 वर्ष की सदस्यता	:	46,000/-रु.
13 वर्ष की सदस्यता	:	51,000/-रु.
14 वर्ष की सदस्यता	:	56,000/-रु.
15 वर्ष की सदस्यता	:	61,000/-रु.
16 वर्ष की सदस्यता	:	67,000/-रु.
17 वर्ष की सदस्यता	:	74,000/-रु.
18 वर्ष की सदस्यता	:	81,000/-रु.
19 वर्ष की सदस्यता	:	88,000/-रु.
20 वर्ष की सदस्यता	:	95,000/-रु.

21 वर्ष की सदस्यता	:	1,05,000/-रु.
22 वर्ष की सदस्यता	:	1,15,000/-रु.
23 वर्ष की सदस्यता	:	1,25,000/-रु.
24 वर्ष की सदस्यता	:	1,35,000/-रु.
25 वर्ष की सदस्यता	:	1,45,000/-रु.
26 वर्ष की सदस्यता	:	1,62,000/-रु.
27 वर्ष की सदस्यता	:	1,79,000/-रु.
28 वर्ष की सदस्यता	:	1,96,000/-रु.
29 वर्ष की सदस्यता	:	2,13,000/-रु.
30 वर्ष की सदस्यता	:	2,30,000/-रु.
31 वर्ष की सदस्यता	:	2,55,000/-रु.
32 वर्ष की सदस्यता	:	2,80,000/-रु.
33 वर्ष की सदस्यता	:	3,05,000/-रु.
34 वर्ष की सदस्यता	:	3,30,000/-रु.
35 वर्ष की सदस्यता	:	3,55,000/-रु.
36 वर्ष की सदस्यता	:	3,90,000/-रु.
37 वर्ष की सदस्यता	:	4,25,000/-रु.
38 वर्ष की सदस्यता	:	4,60,000/-रु.
39 वर्ष की सदस्यता	:	4,95,000/-रु.
40 वर्ष की सदस्यता	:	5,30,000/-रु.

XX

XX

XX

XX

XX

Bill No. 8 of 2020

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND
(AMENDMENT) BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In section 16 of the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 (Act No. 15 of 1987), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (3), for the existing expression “Rs. 400/-”, the expression “Rs. 800/-” shall be substituted;

(ii) in sub-section 5,-

(a) in clause (i), for the existing expression “Rs. 300/-”, the expression “Rs. 500/-” shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the existing expression “Rs. 750/-”, the expression “Rs. 1500/-” shall be substituted; and

- (c) in clause (iii), for the existing expression “Rs. 1250/-”, the expression “Rs. 2500/-” shall be substituted;
- (iii) in first proviso to sub-section (5), for the existing expression “Rs. 17,500/-”, the expression “Rs. 30,000/-” shall be substituted;
- (iv) in third proviso to sub-section (5), for the existing expression “Rs.1.50 per hundred per month from the date on which subscription becomes due.”, the expression “7% per annum after three months from the date subscription becomes due.” shall be substituted; and
- (v) in sub-section (7), for the existing expression “1.50 rupees per hundred per month”, the expression “7% per annum” shall be substituted.

3. Amendment in section 17, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In second proviso to sub-section (1) of section 17 of the principal Act, for the existing expression “rupees two lac fifty thousand”, the expression “rupees eight lac” shall be substituted.

4. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 19 of the principal Act, for the existing expression “twenty five rupees”, the expression “fifty rupees” shall be substituted.

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 20 of the principal Act, for the existing expression “rupees twenty five”, the expression “rupees fifty” shall be substituted;

6. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 15 of 1987.-In section 25 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (2),-
 - (a) for the existing expression “Rs. 40,000/-”, the expression “Rs. 1,00,000/-” and for the existing expression “Rs. 1,00,000/-”, the expression “Rs. 3,00,000/-” shall be substituted; and

(b) in first proviso, for the existing expression "five years", the expression "three years" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (2) so amended, the following new sub-section (3) shall be added, namely:-

"(3) In case any application is received under clause (b) of sub-section (1) within a period of three years, the grant so allowed by the Trustee Committee under clause (a) of sub-section (1) shall be reduced from the sanctioned amount."

7. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing Schedule to the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**"Schedule
(See section 17)**

5 years membership	Rs.50,000/-
6 years membership	Rs.60,000/-
7 years membership	Rs.70,000/-
8 years membership	Rs.80,000/-
9 years membership	Rs.90,000/-
10 years membership	Rs.1,08,000/-
11 years membership	Rs.1,26,000/-
12 years membership	Rs.1,44,000/-
13 years membership	Rs.1,62,000/-
14 years membership	Rs.1,80,000/-
15 years membership	Rs.1,98,000/-
16 years membership	Rs.2,20,000/-
17 years membership	Rs.2,42,000/-
18 years membership	Rs.2,64,000/-
19 years membership	Rs.2,86,000/-
20 years membership	Rs.3,08,000/-

21 years membership	Rs.3,43,000/-
22 years membership	Rs.3,78,000/-
23 years membership	Rs.4,13,000/-
24 years membership	Rs.4,48,000/-
25 years membership	Rs.4,83,000/-
26 years membership	Rs.5,33,000/-
27 years membership	Rs.5,83,000/-
28 years membership	Rs.6,33,000/-
29 years membership	Rs.6,83,000/-
30 years membership	Rs.7,33,000/-
31 years membership	Rs.8,03,000/-
32 years membership	Rs.8,73,000/-
33 years membership	Rs.9,43,000/-
34 years membership	Rs.10,13,000/-
35 years membership	Rs.10,83,000/-
36 years membership	Rs.11,68,000/-
37 years membership	Rs.12,53,000/-
38 years membership	Rs.13,38,000/-
39 years membership	Rs.14,23,000/-
40 years membership	Rs.15,00,000/-

".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a wide spread demand by the Advocates in the State that the amount being paid under various provisions of the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 needs to be reconsidered keeping in view the increasing expenditure of treatment in the hospital and present rising trend in the economy of the Country.

The Bar Council of Rajasthan feels that previously the amendments were made in the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 in the year 2012 and after a lapse of seven years since then, prices of all commodities have increased in the market and all sorts of medical treatments have become costly therefore, the proposed amendments are justified in view of the present circumstances.

The existing sub-section (3) of section 16 provides for an admission fee of Rs. 400/- in lump-sum for membership in the Fund. Similarly, existing sub-section (5) of section 16 provides for an annual subscription to the Fund. Looking to the payment to be made to the member from the Fund the existing fee and annual subscription seems to be meagre. Accordingly, sub-sections (3) and (5) of section 16 are proposed to be amended.

Second proviso to sub-section (1) of section 17 provides for sum payable from the Fund in the event of death of a member. It has been decided by the Bar Council of Rajasthan to increase this financial assistance from Rupees two lac fifty thousand to Rupees seven lac. Similarly, Ex-gratia grant to a member under section 25 in case of hospitalization or major surgical operation has been decided to be raised from Rs. 40,000/- to Rs. 1,00,000/- and in case of serious ailment from Rs. 1,00,000/- to Rs. 3,00,000/-. Accordingly, sections 17 and 25 are proposed to be amended.

Since no appropriation has made by the State Government, the main source of contribution to the Fund is sale of Welfare Fund Fees Stamps. It has become essential to increase the value of Stamps to be affixed on every Vakalatnama to meet out the

various payments to be made to the member in case of exigencies. Accordingly, sections 19 and 20 are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence, the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 1987
(ACT No. 15 of 1987)**

XX XX XX XX XX XX

16. Membership in the Fund.- (1) to (2) xx xx xx xx

(3) Every applicant shall pay an admission fee of Rs. 400/- in lump-sum along with application for membership which shall be credited to the account of Trustee Committee.

(4) xx xx xx xx xx xx xx

(5) Every member shall pay in advance an annual subscription to the Fund on or before 30th day of June, every year at the following rates, namely:-

(i) Where the standing of the Advocate at the Bar is less than five years- Rs 300/-

(ii) Where the standing of the Advocate at the Bar becomes five years or is less than ten years- Rs 750/-

(iii) Where the standing of the Advocate at the Bar is ten years or more - Rs 1250/-

Provided that a member of the Fund may deposit in lump-sum a sum of Rs.17,500/- and in that event he shall not be required to pay annual subscription:

Provided further that the prospective member shall pay the full subscription of the current year along with the admission fee to the Fund:

Provided also that if annual subscription of current year is not paid on or before 30th June, the member of the Fund shall be liable to pay on the amount of arrear an interest at the rate of Rs 1.50 per hundred per month from the date on which subscription becomes due.

(7) A person removed from the membership of the Fund under sub-section (6) shall be re-admitted by the Trustee

Committee to the Fund on payment of the arrears of subscription due against him along with interest thereon at the rate of 1.50 rupees per hundred per month from the date the subscription became due and 100/- rupees as readmission fees within one year from the date of the subscription became due and 100/- rupees as from the date of removal:

Provided that where a member does not move application for re-admission within stipulated period the amount deposited by way of subscription shall be refunded to him if he has not been granted any ex-gratia under section 25 or he is not entitled for any benefit under section 17.

(8) to (13) xx xx xx xx xx xx xx

17. Payments from the Fund on cessation of practice.-

(1) A member of the Fund who completes a period of five years practice after he becomes member of the Fund shall, subject to the provisions of this Act, be entitled on cessation of practice to receive out of the Fund amount an corresponding to the number of years of his standing at the rate specified in the Schedule.

Explanation.- (i) For the purpose of calculating the number of years of standing of a member of the Fund for the purpose of this sub-section, every four years, practice as an advocate before the admission of a member to the Fund shall be counted as one year's standing and every year of practice over and above four years before such admission shall be counted equivalent to three months, standing and the total number of years of standing so counted shall be added to the number of years of practice after such admission;

(ii) The period during which a member of the Fund remained under suspension shall not be considered for the purpose of counting the years of standing:

(2) The grant so allowed shall not exceed a sum of Rs.40,000/- in cases falling under clause (a) and Rs.1,00,000/- in cases falling under clause (b):

Provided that the claim shall not be more than once in a period of three years.

XX XX XX XX XX XX

SCHEDULE
(See Section 17)

5 years membership	:	Rs. 19,000/-
6 years membership	:	Rs. 22,000/-
7 years membership	:	Rs. 25,000/-
8 years membership	:	Rs. 28,000/-
9 years membership	:	Rs. 31,000/-
10 years membership	:	Rs. 36,000/-
11 years membership	:	Rs. 41,000/-
12 years membership	:	Rs. 46,000/-
13 years membership	:	Rs. 51,000/-
14 years membership	:	Rs. 56,000/-
15 years membership	:	Rs. 61,000/-
16 years membership	:	Rs. 67,000/-
17 years membership	:	Rs. 74,000/-
18 years membership	:	Rs. 81,000/-
19 years membership	:	Rs. 88,000/-
20 years membership	:	Rs. 95,000/-
21 years membership	:	Rs. 1,05,000/-
22 years membership	:	Rs. 1,15,000/-
23 years membership	:	Rs. 1,25,000/-
24 years membership	:	Rs. 1,35,000/-
25 years membership	:	Rs. 1,45,000/-

26 years membership	:	Rs. 1,62,000/-
27 years membership	:	Rs. 1,79,000/-
28 years membership	:	Rs. 1,96,000/-
29 years membership	:	Rs. 2,13,000/-
30 years membership	:	Rs. 2,30,000/-
31 years membership	:	Rs. 2,55,000/-
32 years membership	:	Rs. 2,80,000/-
33 years membership	:	Rs. 3,05,000/-
34 years membership	:	Rs. 3,30,000/-
35 years membership	:	Rs. 3,55,000/-
36 years membership	:	Rs. 3,90,000/-
37 years membership	:	Rs. 4,25,000/-
38 years membership	:	Rs. 4,60,000/-
39 years membership	:	Rs. 4,95,000/-
40 years membership	:	Rs. 5,30,000/-

XX**XX****XX****XX****XX****XX**

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 8 of 2020

**THE RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND
(AMENDMENT) BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,

Secretary.

(Shanti Kumar Dhariwal, Minister-Incharge)